

दिनांक-19.11.2020 को आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थानों के सत्यापन हेतु विभागीय जांच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की गठित समिति द्वारा समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

वित्तीय वर्ष-2019-20 में झारखण्ड राज्य के बाहर के कुछ शिक्षण संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुमान से अधिक छात्रों का नामांकन लेने वाले संस्थानों के छात्रों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन किए गए थे एवं इन संस्थानों द्वारा छात्र-छात्राओं के आवेदनों को जांचोपरान्त छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु अग्रसारित किया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा उक्त अग्रसारित किए गए आवेदनों के सत्यापन हेतु विभाग के स्तर पर जांच दल का गठन किया गया। उक्त गठित जांच दल द्वारा राज्य के बाहर 117 विभिन्न शिक्षण संस्थानों का भौतिक सत्यापन किया गया। तदोपरान्त कल्याण विभागीय पत्रांक-325, दिनांक-03.02.2020., पत्रांक-513, दिनांक-24.02.2020 एवं पत्रांक-788, दिनांक-17.03.2020 के माध्यम से जांच पदाधिकारियों के द्वारा झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2018 में निहित प्रावधानों के तहत नियम संगत कार्रवाई हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची को प्रतिवेदन समर्पित की गई।

963  
25/11/2020  
जांच पदाधिकारियों द्वारा समर्पित कुल 117 में से 46 संस्थानों में छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य पाए गए छात्र-छात्रा के संबंध में इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त 46 संस्थानों को भेजे गए स्पष्टीकरण पत्रों एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-956, दिनांक-17.11.2020 के द्वारा आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आज दिनांक-19.11.2020 को आहुत की गई है।

कुल 117 शिक्षण संस्थानों के संबंध में जांच दल के द्वारा समर्पित संस्थानवार निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा उक्त समिति द्वारा क्रमवार की गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदनों में कुल 46 शिक्षण संस्थानों को इंगित किया गया, जिनके द्वारा कतिपय रूप से अनियमितता बरतने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है (संस्थानवार विस्तृत विवरणी संलग्न)। सभी संस्थानों के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति/आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में संस्थानवार समिति द्वारा कालीसूची में डालने एवं उनका नाम झारखण्ड सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल से हटाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जिसका वर्णन संलग्न विवरणी के कॉलम-19 में वर्णित किया गया है। उक्त निर्णय कल्याण विभागीय संकल्प संख्या-626, दिनांक-21.02.2018 में वर्णित निदेश के आलोक में किया गया है।

संस्थानों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से चूक स्वीकार करने, स्पष्टीकरण न समर्पित करने अथवा अन्य तथ्यों से स्पष्टीकरणों में वर्णित आरोपों को स्वीकार/सिद्ध

कर दिया है कि उक्त संस्थान द्वारा गलत मंशा से तथ्यों को छुपाकर अथवा बदलकर झारखण्ड सरकार के साथ फरेब, धोखाधड़ी करके वित्तीय हानि पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर लिया गया था। यदि भौतिक जांच न हुई होती तो सभी अयोग्य आवेदकों को राशि का हस्तान्तरण हो गया होता।

कल्याण विभागीय पत्रांक-394, दिनांक-11.02.2020 एवं पत्रांक-1124, दिनांक-09.06.2020 के आलोक में इंगित संस्थानों के द्वारा प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध सभी परियोजना पदाधिकारी एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को छात्रवृत्ति भुगतान स्थगित रखे जाने का निदेश दिया गया था। इसके बावजूद यदि किसी जिला द्वारा वैसे इंगित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है, तो संबंधित जिला द्वारा अविलम्ब राशि वसूली के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का भी निर्णय लिया गया। अतः इस निर्णय कि प्रति सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय और इसे ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड करते हुए संबंधित शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाय।

कल्याण विभागीय संकल्प संख्या-626, दिनांक-21.02.2018 में वर्णित प्रावधान के आलोक में इस निर्णय के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अपील किया जा सकता है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अनुलग्नक: संस्थानवार लिए गए निर्णय की विवरणी परिशिष्ट-1

ह0/-  
(राम नारायण राम)  
उप निदेशक,  
आदिवासी कल्याण।

ह0/-  
(असीम किस्पोट्टा)  
उप सचिव,  
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,  
झारखण्ड, रांची।

ह0/-  
(जगबन्धु महथा)  
संयुक्त सचिव,  
अनु0 जनजाति, अनु0 जाति,  
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग  
कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची

ह0/-  
(दिलेश्वर महतो)  
संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण  
विभाग, झारखण्ड, रांची।

ह0/-  
(संजय कुमार प्रसाद)  
अपर सचिव,  
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,  
झारखण्ड, रांची।

ह0/-  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,  
झारखण्ड के संयुक्त सचिव से  
अन्यून पदाधिकारी।

ह0/-  
(हर्ष मंगला)  
आदिवासी कल्याण आयुक्त,  
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक- 963  
प्रतिलिपि- सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को सूचनार्थ प्रेषित।

रांची, दिनांक- 25/11/2020  
25/11/20  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक- 963  
प्रतिलिपि- सी0जी0जी0, हैदराबाद को ई-कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही अपलोड करने हेतु एवं  
समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रांची, दिनांक- 25/11/2020  
25/11/20  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक- 963

रांची, दिनांक- 25/11/2020

प्रतिलिपि- सभी परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, झारखंड/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

\* 25/11/2020

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक- 963

रांची, दिनांक- 25/11/2020

प्रतिलिपि- सरकार के सचिव, अनु0 जनजाति, अनु0 जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

\* 25/11/2020

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनानर्गत राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थानों के भौतिक सत्यापन हेतु विभागीय जांच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर संस्थानवार समिति द्वारा लिए गए निर्णय:-

क्र०	संस्थान का नाम	ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदित संस्थान के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य छात्र-छात्राओं की संख्या	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	2	3	4	5
1	Netaji subhash college, Abhanpur, Raipur, C.G.	58	1	संबंधित छात्रा द्वारा पढ़ाई छोड़ने के संबंध में संस्थान द्वारा ससमय कार्यालय को सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
2	Mats University, Arang, Raipur, C.G.	32	2	प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
3	Yashoda School Of Nursing, Hyderabad, Telangana (पृ०-27/५०)	20	11	नामांकन नहीं होने के बावजूद संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन को अग्रसारित करने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
4	Aditya School Of Nursing, Hyderabad, Telangana	12	1	संबंधित छात्रा द्वारा पढ़ाई छोड़ने के संबंध में संस्थान द्वारा ससमय कार्यालय को सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
5	Laxmi Devi School Of Nursing, Bangalore	10	10	प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
6	Surya College School Of Nursing, Bangalore	13	13	प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
7	IES College of Technology, Bhopal, M.P.	114	14	संस्थान द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है एवं 14 अयोग्य छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन को संस्थान द्वारा अग्रसारित किया गया है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।

क्र०	संस्थान का नाम	ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदित संस्थान के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य छात्र-छात्राओं की संख्या	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
8	IES Institute of Technology and Management, Bhopal, M.P.	32	4	संस्थान द्वारा दूसरे स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है एवं 04 अयोग्य छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन को संस्थान द्वारा अग्रसारित किया गया है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
9	TECHNOCRATS INSTITUTE OF TECHNOLOGY-ADVANCE, BHOPAL, M.P.	10	1	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
10	ADARSH COLLEGE OF EDUCATION, GWALIOR M.P.	16	3	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
11	Ansh College of Education, GWALIOR M.P. (पृ०-51-48/५० द्रष्टव्य एवं फोल्डर-2 में रक्षित)	34	11	संस्थान द्वारा चूक स्वीकार कर ली गई है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
12	BRILLIANT INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, GWALIOR M.P. (पृ०-51-48/५० द्रष्टव्य एवं फोल्डर-2 में रक्षित)	36	23	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
13	BHAGWATI INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, GWALIOR M.P.	39	28	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
14	CARE COLLEGE OF EDUCATION, GWALIOR M.P.	18	7	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
15	DIKSHA PROFESSIONAL ACADEMY, GWALIOR M.P.	16	8	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।

क्र०	संस्थान का नाम	ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदित संस्थान के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य छात्र-छात्राओं की संख्या	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
16	INSTITUTE OF PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION, GWALIOR M.P.	21	8	समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
17	maharshi vedvyas mahavidyalaya, GWALIOR M.P.	14	6	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
18	M.P.S SHIKSHA MAHAVIDYALAYA, GWALIOR M.P.	11	3	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
19	Vijayraje collage of education gwalior, GWALIOR M.P.	12	7	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
20	Sitaramaiah school of nursing, Rangarddy ,Telangana	14	9	संस्थान द्वारा चूक को स्वीकार करने एवं आरोपों को स्पष्ट करने हेतु द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
21	ARYABHATTA INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, Bardhaman, W.Bangal	17	1	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
22	ASANSOL ENGINEERING COLLEGE , Bardhaman, W.Bangal	45	2	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री दयानन्द दुबे, जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद (जांच दल) से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय तथा पुनः प्रतिवेदन प्राप्त होनेतक संस्थान को ई-कल्याण पोर्टल पर <b>Hold</b> रखा जाय।
23	Dr. B.C.Roy Engineering College , Bardhaman, W.Bangal	76	1	आरोपों को स्पष्ट करने हेतु प्रेषित द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिये जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।

क्र०	संस्थान का नाम	ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदित संस्थान के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य छात्र-छात्राओं की संख्या	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
24	NSHM College of Management & Technology, Durgapur, , Bardhaman, W.Bangal	11	3	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री दयानन्द दुबे, जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद (जांच दल) से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय तथा पुनः प्रतिवेदन प्राप्त होनेतक संस्थान को ई-कल्याण पोर्टल पर <b>Hold</b> रखा जाय।
25	AGNIBINA SCHOOL OF EDUCATION, Birbhum, W. Bangal	86	15	आरोपों का स्पष्ट करने हेतु प्रेषित द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं देने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
26	ARKADUYTI COLLEGE OF EDUCATION, Birbhum, W. Bangal	15	15	निरीक्षण के समय भौतिक सत्यापन में सहयोग न करने का कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
27	BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, Birbhum, W. Bangal	10	1	समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
28	GITANJALI COLLEGE OF EDUCATION, Birbhum, W. Bangal	106	23	आवेदन में वर्णित संस्थान का भौतिक सत्यापन न होने के कारण एवं आरोपों को स्पष्ट करने हेतु द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं देने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
29	GURUKUL TEACHERS TRAINING CENTRE, Birbhum, W. Bangal	14	1	आरोपों का स्पष्ट करने हेतु प्रेषित द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं देने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
30	RANGAMATI SHIKSHAN ASHRAM, Birbhum, W. Bangal	118	19	आवेदन में वर्णित संस्थान का भौतिक सत्यापन न होने के कारण एवं आरोपों को स्पष्ट करने हेतु द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं देने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
31	SWAMI VIVEKANANDA B.ED. COLLEGE, Birbhum, W. Bangal	72	1	संस्थान द्वारा चूक स्वीकार कर ली गई है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।

क्र०	संस्थान का नाम	ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदित संस्थान के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य छात्र-छात्राओं की संख्या	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
32	TOSHANI COLLEGE OF EDUCATION, Birbhum, W. Bangal	75	14	संस्थान द्वारा चूक स्वीकार कर ली गई है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
33	INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, North 24 Parganas, W. Bengal	23	1	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
34	ST MARYS TECHINECL CAMPUS KOLKATA, North 24 Parganas, W. Bengal	115	1	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
35	MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Kolkata, W. Bangal	26	21	आरोपों को स्पष्ट करने हेतु द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
36	Bhilai College Of Information Technology, Durg, Chattisgarh	26	1	संस्थान द्वारा चूक स्वीकार कर ली गई है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
37	Chhattisgarh College of Education, Durg, Chattisgarh	11	4	संस्थान द्वारा चूक स्वीकार कर ली गई है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
38	DEV SANSKRITI COLLEGE EDUCATION AND TECHNOLOGY, Durg, Chattisgarh	25	9	आरोपों को स्पष्ट करने हेतु प्रेषित द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
39	MANSA COLLEGE OF EDUCATION, Durg, Chattisgarh	70	5	संस्थान द्वारा चूक स्वीकार कर ली गई है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।



क्र०	संस्थान का नाम	ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदित संस्थान के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य छात्र-छात्राओं की संख्या	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
40	Swami Vivekanand College of Education Yamunanagar, Haryana	18	18	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री निरंजन कुमार, उप निदेशक, कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची (जांच दल) से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय तथा पुनः प्रतिवेदन प्राप्त होने तक संस्थान को ई-कल्याण पोर्टल पर <b>Hold</b> रखा जाय।
41	YAMUNA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Yamunanagar, Haryana	11	11	कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
42	Hi-Tech Institute of Engineering & Technology, Gagyabad, U.P	49	49	कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
43	NARAYANA SCHOOL OF NURSING, Nellore, A.P.	17	1	कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
44	sagar durga school of nursing, plot no.105&115, resavanipallam, seethammadhara, A.S.R nagar, visakhapatanam	30	2	संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पष्टीकरण पत्र का जवाब अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
45	CHRIST COLLEGE OF EDUCATION, KOTTAVALASA , George Town, Church Road, Kottavalasa , vizianagaram-535183, ANDHRAPRADESH, j333.777@gmail.com	41	41	भौतिक सत्यापन के दौरान संस्थान के विफल रहने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।
46	JESUS DOGGA COLLEGE OF EDUCATION, KOTTAVALASA , ANDHRA PRADESH, S.No:53-9p,George town, church road,cheepuruvalasa(post), Kottavalasa-535183, vizianagaram-535183, Andhrapradesh, jesusdogga@gmail.com	113	113	भौतिक सत्यापन के दौरान संस्थान के विफल रहने के कारण समिति द्वारा संस्थान को काली सूची में डालने एवं तदनुसार ई-कल्याण पोर्टल से <b>Delisting</b> करने का निर्णय लिया गया।